

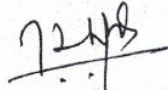
अपीलकर्ता : श्री नरेश चन्द त्यागी
आर.टी.आई कम्प्लेक्स संख्या : डायरी संख्या-8831 दिनांक 28/07/2022
अपील कम्प्लेक्स संख्या : 73 दिनांक 13/09/2022

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-(01) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन दिनांक 26/08/2022 और प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-(01) के द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 8 (1) (जी) व तृतीय पक्ष के आधार पर अपेक्षित सूचनाएँ प्रदान न किए जाने पर आपत्ति दर्ज की है।

फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- (01) के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञापन संतोषजनक है, जिसमें जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी को व्यक्तिगत सूचना व उक्त व्यक्ति की सुरक्षा के मद्देनजर आर. टी. आई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (जे) व 8 (1) (जी) को उपयुक्त माना है। अतः प्रदान किए गए ज्ञापन में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार (तिहाड़)/
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री नरेश चन्द त्यागी

७८

F10(3476489)/ID-Appeal General/CJ/Legal/2022/

Dated: ०५/१०/२०२२

5826-28

आवश्यक सूचना/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-01, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.
2. वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक (एस.एस.ए), आई.टी. शाखा, कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.